उत्तर प्रदेश शासन
गृह (गोपन) अनुभाग-3
संख्या : 103/1/4/02- टी0एक्स0-3
लखनऊ: दिनांक: 08 नवम्बर, 2004

अधिसूचना

चूंकि नीचे दी गई अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि ऐसा स्थान है, जिसका प्रयोग लोक प्रकृति के प्रयोजनों के लिए अर्थात विद्युत आपूर्ति के लिए किया जा रहा है,

और चूंकि उसके सम्बन्ध में कोई सूचना या उसके नष्ट होने या उसमें रुकावट या विघ्न से शत्रु को लाभ पहुंच सकता है,

अतएवं, अब, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या-एस0ओ0-1285, दिनांक 04 मई, 1963 के साथ पठित शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 (अधिनियम सं0 19 सन् 1923) की धारा 2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (घ) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल नीचे दी गई अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक "प्रतिषिद्ध स्थान" घोषित करते हैं, और अग्रतर निदेश देते हैं कि इस अधिसूचना की एक प्रति अंग्रेजी में उस स्थान की जन भाषा में उक्त भू-गृहादि पर लगाई जायेगी ।

अनुसूची

प्रतिषिद्ध स्थान का नाम और उसकी विनिर्दिष्टियां
400/220 के0वी0 सब-स्टेशन ग्राम- सारंगापुर रीवां रोड़ जिला -इलाहाबाद

पूर्व में - ग्राम चम्पतपुर
पश्चिम में - ग्राम भरा
उत्तर में - ग्राम सारंगापुर
दक्षिण में - ग्राम बगबना

आज्ञा से,

प्रदीप भटनागर
सचिव गृह ।

--2/-

संख्या:103/1/4/2002-सी0एक्स0-3 तद्दिनांक

==================================

प्रतिलिपि अंग्रेजी अनुवाद सहित, निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उ0प्र0 इलाहाबाद को सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

वे कृपया अंग्रेजी तथा हिन्दी विज्ञप्ति की 20-20 प्रतियां गृह (गोपन) अनुभाग-5 उ0प्र0शासन को तथा 40-40 प्रतियां उप-महाप्रबन्धक, पावर ग्रिड कारपोरेशन लि0 उत्तरी क्षेत्र-1 इलाहाबाद समूह इन्दिरा भवन सिविल लाइन्स इलाहाबाद को भेज दें ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषित :-

1- उप-महाप्रबन्धक, 400/220 के0वी0 सब-स्टेशन ग्राम सारंगापुर रींवा रोड इलाहाबाद को (40 प्रतियों के साथ) इस निवेदन के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस विज्ञप्ति की प्रतिलिपियों को प्रतिष्ठित स्थान के मुख्य स्थानों पर लगवा दें।

2- पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना विभाग उ0प्र0लखनऊ ।

3- जिलाधिकारी, इलाहाबाद ।

4- वरि0पुलिस अधीक्षक, इलाहाबाद ।

आज्ञा से,

(हृदय नारायण)
उपसचिव ।